

संचालनालय कोष एवं लेखा,
मध्यप्रदेश

क्रमांक/डीटीए/C-SFMS/ 2015/152-48
प्रति,

भोपाल, दिनांक 14/08/2015

कलेक्टर,
भोपाल म0प्र0

- विषय :- एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली परियोजना (IFMIS) के अन्तर्गत नेटवर्क कनेक्टिविटी के संबंध में।
- संदर्भ :- म0प्र0 शासन, वित्त विभाग के पत्र क्र0 1939/2571/2015/डी चार, भोपाल, दिनांक 31.07.2015

—0—

IFMIS परियोजना संचालन हेतु यह आवश्यक है कि समस्त आहरण अधिकारी कार्यालय में कनेक्टिविटी उपलब्ध हो, इस हेतु समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं। संदर्भित पत्र द्वारा स्पष्ट किया गया है कि MPSWAN (LAN/RF), निक नेट या VPN कनेक्टिविटी कार्यालय में सुनिश्चित की जाय। उक्त कनेक्टिविटी उपलब्ध न होने पर IT विभाग द्वारा अनुमोदित इन्टरनेट सर्विस प्रोवाइडर (SP) से निर्धारित मासिक दरों पर आवश्यकतानुसार डोंगल प्राप्त किये जायें। डोंगल हेतु ISP का चयन कार्यालय में श्रेष्ठतम उपलब्ध Signals के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः आहरण संवितरण अधिकारी कार्यालयों जिनमें MPSWAN, अथवा VPNoBB कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है, को डोंगल के संबंध में अवगत कराने हेतु MPSEDC द्वारा दिनांक 19 अगस्त 2015 को कैंप का आयोजन किया जायेगा एवं आवश्यकतानुसार डोंगल प्रदाय किये जायेंगे।

इस संबंध में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी निर्देश की प्रति संलग्न है। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि एक डोंगल के माध्यम से कार्यालय के एक ही कम्प्यूटर पर कनेक्टिविटी प्राप्त की जा सकेगी। अतः कार्यालय में एक से अधिक कम्प्यूटर पर कनेक्टिविटी (IFMIS) का उपयोग किये जाने हेतु, तदनुसार संख्या में डोंगल लिये जाने होंगे।

कृपया अपने अन्तर्गत समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों को उक्तानुसार अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

14.8.2015
वि.क.अ.

सह आयुक्त

पृ0क्रमांक/डीटीए/C-SFMS/ 2015/153
प्रतिलिपि :7

भोपाल, दिनांक 14/08/2015

1. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा भोपाल म0प्र0, की ओर सूचनार्थ एवं समन्वय हेतु।
2. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय भोपाल, वल्लभ भवन, एवं विन्ध्याचल कोषालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर संचालक